17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 1 (चेतन बनोधा पुत्र श्री कन्हैया बनोधा, जाति– राजपूत, निवासी– राम कृष्णा, मांच गांव, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता, सनराईज पैलेस होटल एण्ड क्लाउड–9 रेस्टोरेन्ट, पुरानी भरतपुर कोठी, पेट्रोल पम्प के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही) उपस्थित, जिन्होंने प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब एवं श्री रवि शाह, कार्यकारी निदेशक, EMTICI ENGINEERING LIMITED, Marketing & Servicing Company, Anand-Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar-388120, Gujrat का अधिकृत पत्र (जिसमें प्रतिवादी चेतन बनोधा को इस प्रकरण में प्रतिवादीगण व प्रतिवादी फर्म सनराईज पैलेस होटल एण्ड क्लाउड – 9 रेस्टोरेन्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है) प्रस्तुत किया। प्रतिवादी चेतन बनोधा द्वारा

......लगातार

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही – 307001

17/02/2021
CHETAN BANODHA

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.40/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 22.2.2021 को होनी है, लेकिन अतिआवश्यक कार्यवश मुझे शहर से बाहर जाना है, इसलिये आज दिनांक 17.2.2021 को प्रकरण की सुनवाई करावे। जिस पर पत्रावली आज दिनांक 17.2.2021 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रतिवादी चेतन बनोधा द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह भी अंकित किया है कि कंपनी द्वारा मुझे प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है एवं पूर्व में प्रकरण नियुक्त किये गये अधिवक्ता श्री अभिमन्यु सिंह एवं आर.के.वैष्णव को प्रकरण से मुक्त किया गया है। प्रतिवादी चेतन बनोधा द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह भी अंकित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 21.10.2019 को रिफाइंड सोयाबिन तेल का नमूना जांच के लिये लिया गया था और जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। नमूने से संबंधित रिफाइंड सोयाबिन तेल हमारे द्वारा फर्म लालचंद दिनेश कुमार आबूपर्वत से खरीदा गया था। फर्म लालचंद दिनेश कुमार द्वारा जारी किये गये बिल में तेल के ब्रांड का नाम अंकित नही किया गया था। जिस दिन तेल मंगाया गया उस दिन बिल प्राप्त नही होने के कारण मिलान नही हो पाया। हमारे द्वारा अच्छी क्वालिटी के खाद्य पदार्थो का उपयोग खाना बनाने के लिये हमेशा से किया जाता है। भविष्य में इस प्रकार के तेल का इस्तेमाल हमनें बंद कर दिया है। हमारी यह प्रथम भूल है, भविष्य में इस तरह की भूल दोबारा नही दोहराई जायेगी, इसे प्रथम गलती मानते हुए प्रकरण को समाप्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी चेतन बनोधा द्वारा प्रतिवादीगण (प्रतिवादी संख्या 1 से 7) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 की भागीदारी की फर्म सनराईज पैलेस होटल एण्ड क्लाउड – 9 रैस्टोरेन्ट, पुरानी भरतपुर कोठी, पेट्रोल पंप के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी चेतन बनोधा (मैनेजर) द्वारा अमानक रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी चेतन बनोधा (अधिकृत प्रतिनिधि) ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना किये जाने का अनुरोध किया।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह [illegible] श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक [illegible]10.2[illegible] को समय 5.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु [illegible] सनराईज पैलेस होटल एण्ड क्लाउड – 9 रैस्टोरेन्ट, पुरानी [illegible] कोठी, पेट्रोल पंप के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही [illegible] गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से प्र[illegible]वादी चेतन बनोधा पुत्र श्री कन्हैया बनोधा, जाति– राजपूत, निवासी– राम कृष्णा, मांचगांव, माउन्ट आबू,

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.40/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को होटल रेस्टोरेन्ट में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) की सब्जी एवं खाना बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए रेस्टोरेन्ट के अन्दर स्टोर में रखे हुए खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) 13 लीटर लगभग टीन कंटेनर में मौजूद रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) को अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुये रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) में से 1600 ग्राम रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) को एक साफ, सूखे, एवं खाली भिगोन में जांच हेतु खरीदा एवं रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) की कीमत राशि रुपये 139/– अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। फॉर्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर चेतन बनोधा को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर एवं गवाहों को चार साफ सूखी खाली शीशीयां दिखाई एवं लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) को चारों नमूना शीशीयों में बराबर भरा एवं एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर, प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1062 का नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेकद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता चेतन बनोधा ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) के नमूना संख्या S-1062 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक [illegible] क्रमांक:L.S./895/Act/2019/943 दिनांक 08.[illegible] अनुसार अमानक (Sub-standard) [illegible] दस्तावेजों के अवलोकन से यह [illegible] है कि [illegible] पैलेस [illegible] लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.40/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

होटल एण्ड क्लाउड – 9 रेस्टोरेन्ट, पुरानी भरतपुर कोठी, पेट्रोल पंप के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में मैनेजर चेतन बनोधा द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया प्लस) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी फर्म सनराईज पैलेस होटल एण्ड क्लाउड – 9 रेस्टोरेन्ट, पुरानी भरतपुर कोठी, पेट्रोल पंप के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/–, (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। फर्म सनराईज पैलेस होटल एण्ड क्लाउड – 9 रेस्टोरेन्ट, पुरानी भरतपुर कोठी, पेट्रोल पंप के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर आरोपित जुर्माना राशि जमा कराने हेतु फर्म सनराईज पैलेस होटल एण्ड क्लाउड – 9 रेस्टोरेन्ट, पुरानी भरतपुर कोठी, पेट्रोल पंप के सामने, माउन्ट आबू के भागीदार (प्रतिवादी संख्या– 2 से 7) उत्तरदायी होंगे। प्रतिवादी चेतन बनोधा को आदेश किया जाता है कि सनराईज पैलेस होटल एण्ड क्लाउड – 9 रेस्टोरेन्ट पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 03.3.2021 को पेश हो।

17/2/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested